17

(32)

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल कैंप सागर (म०प्र०)

प्र/अपील/सागर/भू०रा/2017/4972

(1) मिट्ठू लाल पिता टुण्डे

(2) शिवराज पिता मिहीलाल

(3) काशीराम पिता मिहीलाल

(4) कामता पिता मिहीलाल

(5) गौरी शंकर पिता भगवानदास

(6) उमराव पिता भगवानदास

(7) नवले पिता भोला

(8) रघुराज पिता भोला

(9) कला बाई पत्नि चऊन्दे

(10) चऊन्दे पिता चिखे

(11) राजरानी पति मिहीलाल

(12) राजाराम पिता भोला

सभी निवासी ग्राम सानोधा तह० जिला सागर -- अपीलार्थीगण

B.O.R.
25 NOV 2017

|| बनाम ||

1- मध्य प्रदेश शासन

2- काशीराम पिता [illegible] धानक

3- सूरज पिता पूरन लाल धानक

4- फूल चंद पिता कुरे धानक

5- रमेश पिता कुरे धानक

सभी निवासी ग्राम सानोधा तह० जिला सागर -- प्रतिअपीलार्थी,

श्री ... ... द्वारा प्रस्तुत
उपायुक्त कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

अपील क्रमांक   तारीख प्रस्तुति

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म०प्र० भू राजस्व संहिता

अपीलार्थीगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

230
27/11/17

1- यह कि अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील माननीय निम्न न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर द्वारा अपील क्रमांक 219अ/6 ~~93-अ-6~~ वर्ष

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/सागर/भू.रा./2017/4972

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में अपर कलेक्टर सागर ने नायब तहसीलदार से विधिवत जांच कराई जाकर एवं उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 03.10.2017 द्वारा विस्तृत विवेचना उपरांत की गई है, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त ने उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन को आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त करने में कोई न्यायिक त्रुटि नहीं की है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	